फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :– 198/2022

रामराय **बनाम** सरकार

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19.06.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रमेश चौधरी हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। वादी ने यह वाद बाबत् नाम दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। वादी विवादित भूमि में खसरा नंबर 1022, 1023, 1024, 1025, 1036, 1037, 1038, 1039, 1042, 1045, 1046, 989, 990 कुल किता 13 कुल रकबा 11.06 है0 वाके ग्राम रसूलपुरा तहसील चाकसू मे सम्पूर्ण हिस्सा के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में वादी के विरासत के नामान्तकरण में नाम रामराय पुत्र दामोदर दर्ज होना बताया है जबकि उनके वादी का वास्तविक नाम रामराज पुत्र दामोदर दर्ज होना बताया है। प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे विरासत से प्राप्त हुई है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में रामराय पुत्र दामोदर के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह सिद्ध नही किया है कि रामराज पुत्र दामोदर का कोई अन्य व्यक्ति बतौर खातेदार उक्त भूमि पर काबिज है। अतः वादी के शपथ पत्र एवं जवाब सरकार के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि रामराय पुत्र दामोदर एवं रामराज पुत्र दामोदर एक ही व्यक्ति है। अतः वादी का नाम विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में रामराज पुत्र दामोदर दर्ज किया जावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)